

आदित्यपुर नगर निगम का कार्यालय, आदित्यपुर ।

(नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, के संकल्प
ज्ञापांक-07/न0वि0/अधि0/ससो0 /102/2013/3263 दिनांक-18.05.2017 के आलोक में अनाधिकृत/
बिचलित निर्माण को नियमितिकरण शुल्क के माध्यम से नियमितिकरण हेतु Appendix-L के प्रावधानिक
मानक 10.2 के कंडिका-2.3 के प्रावधान मे प्रदत्त शक्ति के तहत नियमितिकरण)

भवन नियमितिकरण परमिट संख्या.....2313.....

दिनांक.....24.7.19

सेवा में,

में0 श्री हाउसिंग डेवलपर्स प्रा0 लि0


डायरेक्टर श्री रीतेश कुमार शुक्ला

Dev Das Place Diagonal Road Bistupur, P.o Bistupur, Jamshedpur.


महाशय,

आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में नगर निगम क्षेत्र के अर्न्तगत प्लॉट सं० नया 837, 838, 839
पुराना 412 खाता सं० नया 159 , 929, 1159 पुराना 99 मौजा : बडा गम्हरिया थाना सं० 66 पर पारित मानचित्र से विचलित
कर निर्मित Basement (Parking) + Lower Ground + Upper Ground to 5th Floor (Commercial)
Building Height 19.25 m प्लॉन का नियमितिकरण निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं समर्पित दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर नियमितिकरण रद्द करते हुए नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
2. भवन नियमितिकरण से किसी प्रकार के अधिकार, स्वामित्व या अन्य लाभ स्थापित नहीं होगा।
3. अग्नि सुरक्षा संबंधी पर्याप्त क्षमता के डी0सी0पी0 का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
4. वर्षा जल संचयन की व्यवस्था छः माह के अन्दर सुचारू रूप से स्थापित कर इस कार्यालय से जाँच करा लेंगे।
5. नियमितिकरण से उक्त निर्माण से संबंधित किसी भी दिवानी या फौजधारी मुकदमों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाकर तथा गलत जानकारी देकर नियमित कराये गए आदेश को वापस ले लिया जायेगा एवं इसके लिए जमा कराया गया शुल्क जप्त कर लिया जायेगा तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के उपर झारखण्ड अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
7. भवन की संरचना के स्थिरता के मामले में प्रमाण-पत्र देने वाले अनुज्ञप्ति धारक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
8. झारखण्ड एपार्टमेन्ट एक्ट-2011 में वर्णित संबंधित कण्डिकाओं का पूर्णतः पालन करना होगा।
9. मानक के अनुसार विद्युत तरित चालक की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी होगी।
10. पूर्व निर्गत परमिट संख्या 2452 दिनांक 24.12.16 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
11. इस नियमितिकरण के उपरान्त भवन में किसी प्रकार के निर्माण करने के उपरान्त या उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर नियमितिकरण रद्द करने का अधिकार आदित्यपुर नगर निगम को होगा।


8/7/19

कनीय अभियन्ता,
आदित्यपुर नगर निगम


8.7.19

सहायक अभियन्ता,
आदित्यपुर नगर निगम


8.7.19

कार्यपालक पदाधिकारी,
आदित्यपुर नगर निगम